न्यायालय मे माननीय आयुक्त महोदय् शहडोल संभाग शहडोल (म0प्र0)

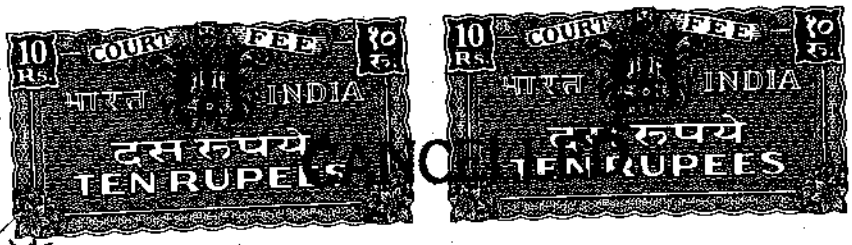

बुटईया बाई पत्नी बिहारी लाल पटेल निवासी ग्राम दुलहरा, (स्कूल के पास) तहसील व जिला –अनूपपुर (म0प्र0) ....अपीलार्थी

बनाम

1 कलावती पुत्री छोटेलाल पति रामचरण चौधरी निवासी ग्राम चॉदपुर तहसील जैतहरी

2 चन्द्रवती पुत्री छोटेलाल पति श्रीलाल उर्फ मुन्ना चौधरी निवासी पुरानी बस्ती जैतहरी

3 सहविन पुत्री छोटेलाल पति महेश चौधरी निवासी ग्राम गोहन्डरा तहसील कोतमा ,

4 दुर्गी पुत्री छोटेलाल पति भैयालाल चौधरी निवासी ग्राम राजावन जमुना तहसील अनूपपुर

राजेश पिता प्रेमलाल चौधरी

6 संजू पिता प्रेम लाल चौधरी क0 05 च 06 निवासी ग्राम पसला

7 भागवत दीन आत्मज छोटेलाल चौधरी निवासी वार्ड न0 10 पुरानी बस्ती अनूपपुर तहसील अनूपपुर सभी जिला अनूपपुर म0प्र0

.............रेस्पाडेन्टगण

<u>अपील विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के राजस्व प्रकरण कमांक 86/अपील/2009–10 मे पारित आदेश दिनांक 10.02.2014 व सिलसिले भूमि ग्राम सकरिया तहसील अनूपपुर</u>

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप मे प्रकरण यह है कि ग्राम सकरिया प0ह0 दुलहरा , तहसील व जिला–अनूपपुर म0प्र0 स्थित भूमि खसरा न0 123/4 रकबा 0.607 हे0 भूमि रेस्पा0क0 07 भगवतदीन चौधरी के भूमि स्वामित्व एवं कब्जे दखल की भूमि थी।

//2//

XXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

बुटईया बाई /कलावती आदि

प्रकरण कमांक अपील0 728–तीन/15 जिला –अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3|3|2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर के प्रकरण कमांक 86/अपील/2009–10 आदेश दिनांक 10–2–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई । ग्रह्यता पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं प्रकण का अवलोकन किया । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नामांतरण पंजी पर किये गये आदेश दिनांक 26–7–2007 के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के समक्ष दिनांक 5–2–2010 को प्रस्तुत की अपील लगभग 2 वर्ष पश्चात् की गई फिर भी समय सीमा के भीतर मान्य कर ली गई । जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई । ग्राहयता के बिन्दु पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश दिनांक 10–2–2014 की सत्यापित प्रतिलिपि का अवलोकन किया । इससे स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर अपील समयावधि में मान्य की है कि विचाराधीन भूमि आवेदक के पिता छोटेलाल के नाम पर दर्ज थी । उसकी मृत्यु के पश्चात् पुत्रियों के नाम पर फौती नहीं की तथा नामांतरण की सूचना खसरा की नकल प्राप्त होने पर हुई । अतः 2 वर्ष का विलम्ब जानकारी दिनांक से समय सीमा के भीतर माना गया है । प्रथमदृष्टया अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में	

A 728-III/15 अ/245

कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती । यदि आवेदक चाहे तो अधीनस्थ न्यायालय में अपने पक्ष समर्थन में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण उभयपक्ष के अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण के संबंध में यदि पक्षकार कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहे तो उन्हें इसके लिये एक अवसर प्रदान किया जाए । इस निर्देश के साथ प्रकरण निराकृत किया जाता है ।

सदस्य